2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
April - June | ISSN – 2584- 0517

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करव्यवस्था का वर्तमान भारतीय करव्यवस्था से तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ अंजली गौतम
सहायकाचार्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राजकर का निर्धारण धर्मग्रन्थों के नीति-नियमों के अनुसार होता था। कर को लागू करने से पूर्व समाज की स्वीकृति थी। धर्मशास्त्र एवं प्रजा द्वारा निर्धारित जो राज कर होता था उन नीति-नियमों में कोई अवरोध नहीं आने पाता था। ये तत्कालीन प्रशासन में सुशासन की स्थापना का सिद्धान्त था।

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण 'अध्यक्ष प्रचार' में अध्याय 21 शुल्काध्यक्ष एवं अध्याय 22 शुल्कव्यवहार में करव्यवस्था वर्णित है। इन अध्याओं में राजकर सिद्धान्तों, करवसूली हेतु नियम एवं दरें एवं विविध प्रकार के करों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। और इसी सुदृढ कर व्यवस्था के कारण ही भारत आज से 2300 वर्ष पहले विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।

वहीं वर्तमान भारत में संघीय प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों में भिन्न-2 सरकारें कार्य करती है। यहाँ कर प्रस्तावों के विषय में सभी मांगे कार्यपालिका (केन्द्र एवं राज्यों की) ही रखती है। राजकीय व्ययों पर स्वीकृति केन्द्रीय स्तर पर संसद एवं राज्यों में सम्बन्धित विधानसभाओं द्वारा दी जाती है। यह राज कर व्यवस्था पवित्र सिद्धान्त 'बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं' के विचार में निहित है।

कीवर्ड – अर्थशास्त्र, कौटिल्य, प्राचीन करव्यवस्था, भारतीय करव्यवस्था, अर्थशास्त्र सिद्धांत, कराधान के स्त्रोत्र

प्रस्तावना

चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है एक प्राचीन भारतीय विचारक और अर्थशास्त्री थे । कौटिल्य ने त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) के सेवन की आवश्यकता बतायी है । इन तीनो की सेवा का उपदेश देते हुए भी "अर्थ: प्रधान कौटिल्य:" कहकर अर्थ की प्रधानता को बताया है कि "अर्थमूलो ही धर्मकामौ" अर्थ के बिना धर्म एवं काम की सिद्धि नहीं हो सकती इसलिए अर्थ की प्राप्ति के उपाय तथा उसके विनियोग के प्रकार को भी बताया है ।

कौटिल्य के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास में कराधान कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, कीमतों का नियमन, मुद्रा कोष, राजकीय व्यय कार्य विभाजन, ऋण आदि पर अति सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला है। उन्होंने व्यापार के विकास एवं नियमन का विस्तृत विश्लेषण किया है राज्य के सफल संचालन में लोकवित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए कौटिल्य ने अपनी रचना में लोकवित्त (करारोपण) की बृहद् व्याख्या की है । कौटिल्य राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते थे । राज्य तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसकी आय के साधनों में वृद्धि हो।

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
April - June | ISSN – 2584- 0517

कौटिल्य ने विशेषकर उद्योग, वन, मछली पकड़ने, खान, भूमि व व्यापारियों पर कर लगाने की बात कही है इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने आयात कर ,चुंगी कर ,सड़कों पर शुल्क को भी राज्य की आय के स्त्रोतों में शामिल किया है वर्तमान समय की तरह ही कौटिल्य ने विलासिता की वस्तुओं पर ऊँची दर से करारोपण की बात कही है ।

व्यापार एवं वाणिज्य - कौटिल्य ने सोने के व्यापार को प्रमुखता प्रदान की है । इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों तथा तत्सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया है । कौटिल्य ने इस बात का सुझाव दिया है कि बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर लगायें जाये क्योंकि इससे सरकारी कोष में वृद्धि होगी, आयात को कम किया जाये तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन देश में ही किया जाये।

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कर निर्धारण हेतु सिद्धांत

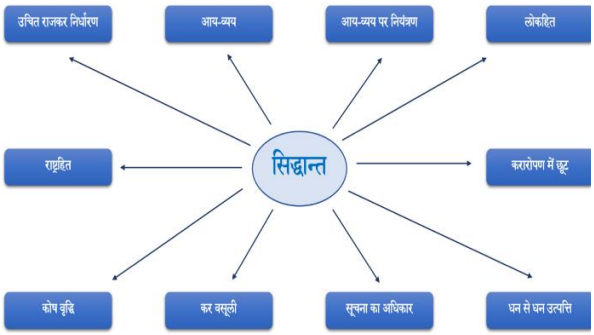

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कराधान के स्त्रोत :-

(1) भूमिकर - कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला कर ।
- सीता कर (धान्य के रूप में वसूलना)
- भाग कर - जो कृषक स्वयं खेती न करें उनसे लेकर अन्य व्यक्ति को दी जाती थी।

कर वसूली का नियम - नदी, तालाब, सिंचाई की अवस्था में उपज का 1/4 भाग ग्रहण

(2) शुल्क चुंगी कर-माल के क्रय-विक्रय पर लगाया जाने वाला कर ।

	पण्य का प्रकार	शुल्क (प्रतिशत)
(i)	नाप कर बेचे जाने वाले माल पर	6.1/4
(ii)	तौल कर बेचें जाने वाले माल पर	5
(iii)	गिनकर बेचें जाने वाले माल पर	9.1/11

(3) प्रत्यक्ष कर - व्यवसात्रियों से सीधे रूप से वसूलने वाले कर ।
- पौत्वाध्यक्ष सें - 4 माषक कर
- द्यूत (जुआ खेलने पर) कर - जो धन जुआ में जीता जाए उस पर 5% राशि राज्य को प्रदान

(4) रूप जीवाओं पर कर - वेश्याओं, गमिकाओं से दैनिक आमदनी का दुगना प्रतिमास कर के रूप में।

(5) नह, नर्तक, गायक, जादूगर, वादक - 5 पण कर

(6) प्रवेश्य (आयात) कर - विदेश से आने वाले माल पर माल की मात्रा का 20% कर के रूप में।
- पुष्प, फलशाक आयात पर मूल्य का छटा भाग (16,1/4%)
- रेशम कक्क, वस्त्र, कच्चामाल 10 से 15% कर
- बर्तन, तेल, लवण, मिठाई 4-5% कर

(7) निष्क्राम्य (निर्यात) कर :- स्वदेशी पण्य के बदले विदेशी पण्य प्राप्त की जाती थी ।

(8) पशुपालकों पर कर
- भुर्गी, सूअर, पालने वालो पर 50%
- भेड बकरी - 16, 2/3% कर
- ऊँट, खच्चर, गधे - 10% कर

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
April - June | ISSN – 2584- 0517

कौटिल्य कृत करव्यवस्था की वर्तमान युग में प्रासंगिकता

कौटिल्य अपने आर्थिक विचारों के आधार पर प्रथम अर्थशास्त्री कहे जा सकते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि, व्यापार, लोकवित्त का जिस प्रकार चित्रण मिलता है वह वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था के काफी समीप है। कौटिल्य के विचार तो वर्तमान में जनमानस में पूर्ण रूप से समाहित है।

वर्तमान भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जो की कौटिल्य की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर एवं वस्तु और सेवा कर अवधारणा से समानता लिए हुए है। केंद्र सरकार में वित्तमंत्रालय के राजस्व के अंतर्गत दो केंद्रीय कर बोर्ड बनाये गए है ये कर लगाने एवं कर वसूली सम्बन्धी नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक संस्थान है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2017 से लागू हुई नवीन करव्यवस्था जी एस टी के सफल संचालन के हेतु जी एस टी परिषद् गठित की गयी है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कर वसूली संस्थाएँ	**वर्तमान भारत में कर वसूली संस्था संस्थाएँ**
(1) **समाहर्ता अधिकरण** - अमात्य (समाहर्ता) ही प्रशासकीय व नियन्त्रक अधिकारी होता था। कार्य:- राजकीय करों का एकत्रीकरण।	(1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(2) **शुल्काध्यक्ष** (चूंगी वसूलने वाला अधिकारी):- समाहर्ता के अधीन रहकर कार्य करना। माला के क्रय विक्रय पर अभिज्ञान मुद्रा लगा देने के पश्चात् माल का विक्रय होता था	(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)
	(3) जी.एस.टी परिषद्

वर्तमान भारत में कराधान के स्त्रोत :-

यहाँ केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले करों का वर्णन है

(1) प्रत्यक्ष कर - आयकर, निगमकर, धनकर, सम्पत्ति कर।

(2) अप्रत्यक्ष कर

- विदेशी वस्तुओंबर के आयात पर शुल्क।
- वाणिज्य संस्था द्वारा दी गई सेवाओं पर सेवा कर
- वस्तुओं के उत्पादन पर कर एवं बिक्री पर कर।

(3) वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) - नवीन कर व्यवस्था के अनुसार हर वस्तु और सेवा पर एक ही कर लगेगा जो देश के सभी राज्यों में समान होगा।

- GST के तहत सम्मिलित होने वाले कर - उत्पादन शुल्क, सेवा कर, तटकर पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, राज्य वेट।
- GST करों की दरें –
  बहुमूल्य धातुओं सोना आदि - 3% कर
  अपरिष्कृत मूल्यवान रत्नों पर -0-25% कर
  महंगी वस्तुओं पर - 15% अधिभार

उद्देश्य

1. कौटिल्यकालीन कराधान की व्यवस्था एवं विचारों की वर्तमान युग में प्रासांगिकता का अध्ययन।
2. कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित कर व्यवस्था में निहित नीतिगत सिद्धांतों को उजागर करना।
3. वर्तमान भारतीय कराधान के स्त्रोत एवं सिद्धान्तो के विकास हेतु सुझाव प्रदान करना।

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
April - June | ISSN – 2584- 0517

शोधप्रविधि (Methodology)

1) तुलनात्मक अध्ययन पद्धति :-

प्रस्तुत पत्र में कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित कर व्यवस्था का वर्तमान भारतीय कर व्यवस्था सम्बंधी विचारों की तुलना करने हेतु इसका प्रयोग किया है।

(2) ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति :-

प्रस्तुत पत्र में इस पद्धति के प्रयोग द्वारा कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित कराधान की व्यवस्था एवं विचार को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में समझाया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान भारत में कराधान की जडें अर्थशास्त्र काल से ही है है। वर्तमान भारतीय कर प्रणाली इसी प्राचीन कर प्रणाली पर आधारित है जो अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त पर आधारित है । कौटिल्य ने वित्त और निवेश माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के उपाय सुझाये थे जिनका महत्त्व आज भी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में निहित राजकर व्यवस्था एवं सिद्धांतों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को अपनाये जाने से वर्तमान भारत में कर व्यवस्था के सन्दर्भ में सुशासन को स्थापित करने के लिए उपयोगी मापदण्ड हो सकता है।

सन्दर्भ

1. गैरोला, वाचस्पति "कौटिलीय अर्थशास्त्र" चौखम्बा 1 विद्याभवन, वाराणसी, 2011
2. कौटिल्य अर्थशास्त्रम् 15. (1)
3. अवस्थी एवं अवस्थी "भारतीय प्रशासन" लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2016
4. वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
5. मुखर्जी, राधाकुमुद, "चन्द्रगुप्त मौर्या एंड इट्स टाईम्स", मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, देहली 1966
6. सिंह प्रियंका, कौटिल्य का आर्थिक विचार, 2003